

प्रेषक

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
सिंचाई भवन, "बी ब्लॉक", पंचम तल,
सैक्टर 5, पंचकूला ।
☎ : 0172-2573875

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।


यादि क्रमांक टीए-(एटीआई)2018/ 1151.
दिनांक 10, सितम्बर, 2018

विषय:-

स्टेट एस0ए0एस0, भाग-1 के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में प्रशिक्षण देना - 17वां कोर्स ।

उपरोक्त विषय पर इस संस्थान के पत्र क0 टीए-(एटीआई)2018/1093 दिनांक 07.08.2018 की निरन्तरता में ।

2. उपरोक्त संदिग्ध पत्र द्वारा एस0ए0एस0 भाग-1 का 17वां प्रशिक्षण कोर्स संभवतः सितम्बर मास में प्रायोजित करने बारे आपको अपने विभाग व अपने अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों के नाम रिकमैण्ड करके प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, सिंचाई भवन, 'बी' ब्लॉक, पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकूला को दिनांक 24.08.2018 तक भेजने बारे लिखा गया था। अब संस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र देने बारे तिथि बढ़ा दी गई है। अब उन्हीं शर्तों पर अपने कर्मचारियों के नाम रिकमैण्ड करते हुए दिनांक 17.09.2018 तक भेजना सुनिश्चित करें। यह परिपत्र Director, Treasuries and Accounts, Haryana की वेबसाईट (<http://www.hrtreasuries.gov.in/>) से भी डाउन लोड किया जा सकता है ।



प्रधानाचार्य

लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
पंचकूला ।

पृ0क्रमांक टीए-(एटीआई)-2018/ 1151.

दिनांक 10, सितम्बर, 2018

इसकी एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी बोर्डज, निगमों व विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाती है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया उन कर्मचारियों का नाम रिकमैण्ड करके भेजें, जोकि 'निर्धारित शर्तों को पूरी करता हो । आप के कार्यालय द्वारा 4000/- रुपये ट्यूशन फीस की राशि ड्राफ्ट द्वारा इस प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के एक सप्ताह के अन्दर एकमुश्त जमा करवानी होगी । ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला के पक्ष में देय होना चाहिये । प्रशिक्षण पर भेजने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना संस्थान/निगम/बोर्ड आदि की अपनी जिम्मेवारी होगी ।


प्रधानाचार्य

लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
पंचकूला ।